न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—268/2015/75 (2015/00270)

1. रामस्वरूप,
2. शंकर पुत्र चतरा,
3. नाथू पुत्र सांवला,
4. मंगला पुत्र दीना,
5. मिठठू पुत्र दीना,

समस्त निवासी ग्राम पीपलाज, मजरा रूपारेल, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रहमान पुत्र धन्ना,
2. धन्ना पुत्र लाला,

जाति मेहरात, नि0 ग्राम पीपलाज, मजरा रूपारेल, तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

3. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 18.6.2015 आदेश संख्या 217/2012.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री चन्द्रदेव सांखला, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—9.4.2019

1. यह अपील विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन) नियम 1970 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.1.2002 को ग्राम पंचायत पीपलाल में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर रहमान व लाला पुत्र धन्ना, जाति मेहरात, निवासी पीपलाज मजरा रूपारेल, तह0 मसूदा के पक्ष में ग्राम पीपलाज स्थित आराजी खसरा नंबर 781 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नंबर 917 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये उक्त नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में हुए विवादित भूमि के नियमन को निरस्त करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 18.6.2015 द्वारा यह आदेश पारित किये कि ग्रामवासियों के आक्रोश एवं सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए खसरा नंबर 917 में 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर मंदिर व

आंगनबाड़ी, 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर धन्ना पुत्र लाला का मकान व 15 बिस्वा भूमि लादू पुत्र रोड़ा का मकान निर्मित्त होने तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा भी सार्वजनिक हित की भमि को छोड़कर शेष भूमि का आवंटन यथावत् रखने की सहमति देने के कारण उपरोक्त भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया तथा शेष भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत् रखा । विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपर कलक्टर, अजमेर ने उनके समक्ष प्रस्तुत नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मानने के उपरांत भी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है तथा अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के मनमाने तरीके से प्रार्थीगण के अभिभाषक की सहमति आवंटन के आंशिक निरस्त बाबत् होना अंकित कर प्रकरण का निस्तारण किया है, जबकि ऐसा कोई आवेदन हस्ताक्षर आदि पत्रावली पर नहीं है जिससे कि किसी प्रकार की सहमति होना प्रकट होता हो । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि आवंटी/रेस्पो0 न तो भूमिहीन है न ही अन्य किसी प्रकार से आवंटन का पात्र था इसके बावजूद भी बेशकीमती राजकीय भूमि जिस पर राजकीय धन भी व्यय हुआ है तथा राजकीय कार्य में आने के तथ्य मौजूद है इसके बावजूद अवैधानिक आवंटन को बहाल रखते हए अपर कलक्टर, अजमेर ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने प्रत्यर्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये कपट तथा राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ की गई दुरभिसंधि को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य था । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 18.6.2015 को संशोधित करते हुए प्रत्यर्थीगण को किए गए संपूर्ण आवंटन को निरस्त करने के आदेश प्रदान करे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2002 पेज 1, आर0बी0जे0 2016 पेज 167, आर0बी0जे0 2001 पेज 221, आर0बी0जे0 2006 पेज 749, 168 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस एवं क्रोस आब्जेक्शन में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय में खसरा नंबर 917 व खसरा नंबर 781 रेस्पो0 की खातेदारी भूमि होना मानकर व स्वीकार होने के बावजूद भी गलत रूप से खसरा नंबर 781 में 15 बिस्वा भूमि लादू पुत्र रोडा की होना मानकर शेष भूमि के लिये रेस्पो0 के खातेदारी अधिकार होना स्वीकार कर आवंटन आदेश को यथावत् रखा है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष लादू पुत्र रोडा द्वारा कोई भी इस बाबत न तो अभिस्वीकृति थी न ही अभिवचन था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी कारण के 15 बिस्वा गैर कानूनी तरीके से लादू पुत्र रोडा की मानने में त्रुटि की है जबकि उक्त भूमि के खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ही चले आ रहे है । रेस्पो0 को खसरा नंबर 917 में दो बिस्वा भूमि पर बने शिवराम जी महाराज की समाधि पर कोई ऐतराज नहीं है तथा खसरा नंबर 781 में 18 बिस्वा भूमि पर जो मंदिर व आंगनबाड़ी बनी हुई है उस बाबत् भी कोई आपत्ति नहीं है, रेस्पो0 की शेष 15 बिस्वा पर

धन्ना पुत्र लाला की ही खातेदारी है जिस पर उसका बाडा व खलिहान के लिये मकान बना हुआ है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में खसरा नंबर 781 मं जो 15 बिस्वा भूमि पर लादू पुत्र रोडा की होना बताकर आदेश पारित किया है उसे निरस्त करवाने के अधिकारी है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नहीं किया है बल्कि विवादित भूमि जो पूर्व से रेस्पो0 की खातेदारी की थी किन्तु सिवायचक दर्ज हो गई थी जिसे बहाल किया गया है । अपीलांटस ने 14 वर्षो के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है जो संधारण योग्य नहीं था । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे तथा क्रोस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष रेस्पो0 को प्रदान किया जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1997 पेज 195, आर0बी0जे0 1995 (2) पेज 780, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 999, आर0आर0डी0 2001 पेज 206, आर0आर0टी0 2003 (2) पेज 921, सी0पी0सी0 आदेश 41 नियम 22, 2015 (3) सी0डी0आर0 राज0 पेज 1179, 2015 (3) डब्ल्यू0एल0सी0 राज0 पेज 298 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 781 रकबा 5–6–00 एवं खसरा नंबर 917 रकबा 6–15–10 ग्राम पीपलाज मजरा रूपारेल तहसील मसूदा स्थित भूमि को राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर रहमान व लाला पुत्रगण धन्ना मेहरात के पक्ष में दिनांक 10.1.2002 को भू–संशोधन में खातेदारी दर्ज होने के कारण एवं निरन्तर कब्जा काश्त होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार नियमन/आवंटन की गई तथा राजस्व अभिलेख में विधिवत् गैर खातेदारी एवं खातेदारी दर्ज की गई है । उपरोक्त आवंटित भूमि के संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत यह कथन किया कि आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग की है, आवंटी आवंटन का पात्र नहीं है क्योंकि आवंटी के पिता के पास में काफी भूमि है तथा आवंटित भूमि में समाधि स्थल, ग्रेवल रोड़ एवं श्मशान एवं मकान बने हुए है इस कारण आवंटन निरस्त किया जावे । अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष दौराने विचाराधीन प्रकरण दोनों पक्षों द्वारा इस बात की सहमति दी गई कि आवंटित खसरा नंबर 917 में 2 बिस्वा भूमि समाधि स्थल के लिये, खसरा नंबर 781 में 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि मंदिर व आंगनबाड़ी हेतु एवं 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि धन्ना पुत्र लाला का मकान होने के कारण एवं 15 बिस्वा भूमि में लादू पुत्र रोडा का मकान निर्मित्त होने के कारण सार्वजनिक हित को मध्यनजर रखते हुए इस हद तक आवंटन निरस्त करते हुए शेष आवंटन यथावत रखते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे । अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने उपरोक्त सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया, परन्तु आवेदनकर्ता अपीलांट द्वारा इस अपील में अपर जिला कलक्टर के आदेश से रूष्ट होकर कथन कर रहे है कि हमारे द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई सहमति नहीं दी गई, अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह गलत है। अधी0न्याया0 को संपूर्ण आवंटन ही निरस्त करना चाहिये था ।

7. विरोध में रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन भूमि राज्य सरकार के स्पेशल परिपत्र के तहत भू–संशोधन जमाबंदी में खातेदारी दर्ज लाला पुत्र सूरता मेहरात जिसके रेस्पो0 वारिसान है एवं निरन्तर कब्जा काश्त होने के कारण आवंटन/नियमन की गई है एवं राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है फिर भी अपर जिला कलक्टर के समक्ष जनहित को ध्यान में रखते हुए सहमति के आधार पर निर्णय करवाया

गया है एवं रेस्पो0 अधिवक्ता का क्रोस आब्जेक्शन के माध्यम से यह भी कथन है कि हमारे द्वारा खसरा नंबर 781 में 15 बिस्वा भूमि लादू पुत्र रोडा की नहीं मानी गई है एवं अधी0न्याया0 के समक्ष इस बाबत् कोई सहमति नहीं थी फिर भी सहमति लिखते हुए निर्णय पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध है क्योंकि यह भूमि भी रेस्पो0 के ही कब्जे काश्त में चली आयी है इस कारण अपील निरस्त करते हुए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार कर खसरा नंबर 781 में 15 बिस्वा लादू पुत्र रोडा की हद तक अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे एवं आवंटन बहाल किया जावे ।

8. विरोध में वकील अपीलांट का कथन है कि क्रोस आब्जेक्शन पेश करने की मियाद अपील के सम्मन तामील होने से 30 दिवस की होती है, अपीलांट दिनांक 21.9.2015 को मान0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर दिया गया था तत्पश्चात् दिनांक 18.1.2019 को क्रोस आब्जेक्शन पेश किये गये है जो अवधि बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपर जिला कलक्टर के समक्ष जब प्रत्यर्थी/आवंटी ने सहमति दी उसी आधार पर निर्णय पारित किया गया इस कारण क्रोस आब्जेक्शन निरस्त किये जावे ।

9. उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट है कि रहमान, व धन्ना पि0 लाला को भू–संशोधन जमाबंदी में लाला पुत्र सूरता की खातेदारी दर्ज होने के कारण एवं कब्जा काश्त होने के नियमन/आवंटन की गई थी तत्पश्चात् गैर खातेदारी दर्ज कर वर्तमान रिकार्ड में खातेदार दर्ज है । न्यायालय के समक्ष ऐसी भी कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है कि आवंटी के पास वक्त आवंटन सीमा से अधिक भूमि हो अथवा आवंटी ने आवंटन कमेटी के साथ कोई धोखा अथवा फरेब अथवा मिस–रिप्रजेंटेंशन किया गया हो तथा अपीलांट का यह कथन कि रेस्पो0 द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवंटन करवाया इस कारण आवंटन निरस्त किया जावे, स्वीकार्य नहीं है । इस प्रकरण में किया गया आवंटन राज्य सरकार के स्पेशल परिपत्र के तहत भू–संशोधन में दर्ज खातेदारान को पुनः बहाल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया तथा उसी परिपत्र के तहत खसरा गिरदावरियां एवं शपथ पत्र के आधार पर आवंटन/नियमन किये गये है इस कारण अपीलांटस द्वारा दिया गया यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी प्राप्त होने के उपरांत भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है एवं फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेंटेशन के आधार पर आवंटन/नियमन निरस्त किया जा सकता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में रेस्पो0 को किया गया आवंटन/नियमन राज्य सरकार के स्पेशल परिपत्र के तहत भू–संशोधन में जमाबंदी में दर्ज खातेदारान को पुनः बहाल करने के उद्देश्य से आवंटन/नियमन किये गये है । उक्त परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है । फिर भी रेस्पो0 द्वारा अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष आवंटित भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि जनउपयोगी हो जाने के कारण स्वेच्छा से उक्त भूमियों की हद तक अपना आवंटन निरस्त करवा लिया जिसमें अपीलांट की भी सहमति रही है । अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उनके द्वारा सहमति नहीं दी गई है परन्तु इस संबंध में मीमों ऑफ अपील में अपीलांट द्वारा कोई भी कथन नहीं किये गये है एवं पत्रावली पर इस आशय की कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय में सहमति के अंकन बाबत् कोई चाराजोही अधी0न्याया0 के समक्ष की गई हो । इस कारण अपीलांट के तर्क व कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है । पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है कि

सरकार के उक्त परिपत्र के अनुसरण में किया गया आवंटन धोखे से प्राप्त किया गया हो अथवा मिसरिप्रजेंटेशन से प्राप्त किया गया हो । इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है। उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील खारिज योग्य पायी जाती है।

10. जहां तक रेस्पो0 द्वारा खसरा नंबर 781 रकबा 15 बिस्वा पर लादू पुत्र रोडा का मकान नहीं होने का कथन किया है एवं अपना कब्जा काश्त होने का कथन किया है जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी दी गई स्वीकारोक्ति से विमुख नहीं हो सकता है एवं स्वीकारोक्ति से बाधित है एवं विधिनुसार क्रोस आब्जेकशन अपील सम्मन तामील होने के 30 के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने से भी क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार योग्य नहीं है एवं रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत कि खातेदारी प्राप्त होने के उपरांत आवंटन/नियमन निरस्त नहीं हो सकते है इस संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय रेस्पो0 द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित किया है जिसमें कोई तात्विक अनियमितता नहीं पायी जाती है एवं वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नही होते है ।

11. उपरोकत विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन खारिज योग्य तथा विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 18.6.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के क्रोस आब्जेक्शन खारिज किये जाते है तथा विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 18.6.2015 यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 9.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,